अभिलेख उपस्थापित। सभी पक्ष उपस्थित। सभी पक्षों को सुना। वाद का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

मामला पथरगामा अंचल के मौजा द्वारीचक, थाना नम्बर–141 के जमाबंदी नम्बर–10 के अधीन दाग नम्बर–43 एवं 3 के अंश भूमि क्रमशः 00–10–08 धूर एवं 00–19–17 धूर का नामान्तरण, गोपाल कुमार उर्फ गोपाल प्रसाद भगत पेसर–श्री उमा प्रसाद भगत, साकिन व अंचल–पथरगामा के नाम अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–22/2011–12 में दिनांक–13.10.2011 को पारित आदेश के द्वारा किये जाने के विरूद्ध नामान्तरण अपीलवाद संख्या–02/2020–21 है।

अनिल भगत पे०–स्व० गजाधर भगत, धीरज भगत पे०–स्व० कपिलदेव भगत एवं ओम प्रकाश भगत पे०–स्व० सिद्धनाथ भगत सभी साकिन–पथरगामा, अंचल–पथरगामा सबडिविजन व जिला– गोड्डा के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 की धारा–15 में निहित प्रावधानों के तहत अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा अंचल न्यायालय, पथरगामा के नामान्तरण वाद संख्या–22/2011–12 में दिनांक–13.10.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन दिनांक–03.10.2019 को दाखिल किया गया है। साथ ही Limitation Act की धारा–5 के तहत अपील हेतु कालबाधित अवधि को Condone करने हेतु आवेदन–पत्र दाखिल किया गया है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि विद्वान अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा पथरगामा अंचल के मौजा–द्वारीचक, थाना नम्बर–141 के जमाबंदी नम्बर–10 के अधीन दाग नम्बर–43 का रकवा–00–10–08 धूर एवं दाग नम्बर–3 का रकवा–00–19–17 धूर, कुल रकवा–01–10–05 धूर प्रतिवादी गोपाल कुमार उर्फ गोपाल प्रसाद भगत पेसर–श्री उमा प्रसाद भगत के नाम सिर्फ हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि अपीलकर्त्ता प्रश्नगत भूमि के जमाबंदी रैयत के वंशज हैं एवं प्रश्नगत भूमि अपीलकर्त्ता के दखल–कब्जे में है। जबकि प्रतिवादी, जिनके नाम से अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा भूमि नामान्तरण का आदेश पारित किया गया है, वे बाहरी व्यक्ति हैं तथा जमाबंदी रैयत से उनका कोई संबंध नहीं है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए कहा कि प्रतिवादी द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा के समक्ष भूमि नामान्तरण हेतु दिनांक–30.09.2011 को आवेदन दाखिल किया गया और हल्का कर्मचारी के द्वारा दिनांक–08.10.2011 को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उसी दिन सोलह आना रैयत के नाम नोटिस निर्गत किया गया एवं अगली सुनवाई की तारीख 13.10.2011 को निर्धारित किया गया और एक सप्ताह के अन्दर ही आपत्ति प्राप्त नहीं होने का जिक्र करते हुए अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किया गया। 16 आना रैयत को स्मार नोटिस भी निर्गत नहीं किया गया। साथ ही 16–आना रैयत को किस तिथि को नोटिस का तामिला कराया गया, अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है। ऐसा माना जाना चाहिए कि अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा 16–आना रैयत को नोटिस निर्गत नहीं किया गया है। इसलिए अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–22/2011–12 में दिनांक–13.10.2011 को पारित आदेश सही नहीं है। अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा पारित उक्त आदेश को रद्द करने का अनुरोध प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा किया गया। साथ ही प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा पारित आदेश को संथालपरगना

काश्तकारी अधिनियिम–1949 की धारा–20 का उल्लंघन बताया गया, जिसके तहत बिक्री, लीज, दान के माध्यम से रैयती भूमि के ट्रांसफर पर प्रतिबंध है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह भी बताया गया कि प्रतिवादी के द्वारा बिना कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये अपीलकर्त्ता के वंशज महाबीर भगत के द्वारा प्रतिवादी के वंशज को गोद लेने की बात कह कर धोखे से जमीन प्राप्त किया गया है, जो वैध नहीं है और संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम की आत्मा के विरूद्ध है।

वहीं द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कालबाधित अपील को न सुनने का अनुरोध करते हुए अपीलवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा पथरगामा अंचल के मौजा–द्वारीचक, थाना नम्बर–141 के जमाबंदी नम्बर–10 के अधीन दाग नम्बर–43 का रकवा–00–10–08 धूर एवं दाग नम्बर–3 का रकवा–00–19–17 धूर, कुल रकवा–01–10–05 धूर भूमि का जो नामान्तरण किया गया है, उसका मालिकाना हक प्रतिवादी के पिता उमाकान्त भगत का है, जो उन्हें सबजज, गोड्डा के टाइटल प्रार्टिशन सूट नम्बर–23/1959 में दिनांक–07.11.1962 को पारित अंतिम आदेश से प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी के पिता के हिस्से में है, अपीलकर्त्ता का उक्त भूमि पर कोई दावा ही नहीं बनता है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उक्त टाइटल पार्टिशन सूट नम्बर–23/1959 में पारित आदेश की प्रति समर्पित किया गया तथा टाइटल एक्जिक्यूशन केश नम्बर–07/1963 में पारित आदेश की प्रति, रजिस्टर्ड बटवारा डीड नम्बर–84/2000 की प्रति एवं अपीलकर्त्ता द्वारा सबजज, गोड्डा के न्यायालय में दाखिल टाइटल पार्टिशन सूट संख्या–08/1990 के पलेंट की प्रति समर्पित करते हुए दावा किया गया कि प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी के वंशज का मालिकाना हक है और बटवारे के आधार पर ही अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–22/2011–12 में दिनांक–13.10.2011 को आदेश पारित किया गया है, जो सही है। इसके पूर्व भी इसी आधार पर उक्त जमाबंदी के अधीन नामान्तरण हो चुका है, जो अंचल कार्यालय के पंजी–II में दर्ज है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख तथा समर्पित कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि सबजज, गोड्डा के टाइटल पार्टिशन सूट नम्बर–23/1959 में दिनांक–07.11.1962 को पारित आदेश से प्रतिवादी के पिता का मालिकाना हक प्रश्नगत भूमि पर है एवं प्रतिवादी अपने हिस्से की भूमि का नामान्तरण कराने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि उनके अन्य हिस्सेदार को कोई आपत्ति नहीं है तो। सबजज, गोड्डा के टाइटल पार्टिशन सूट नम्बर–23/1959 में दिनांक–07.11.1962 को पारित आदेश एवं टाइटल एक्जिक्यूशन केश नम्बर–07/1963 में पारित आदेश के आलोक में अपीलकर्त्ता का यह दावा कि प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी का कोई हक नहीं बनता है, गलत सिद्ध होता है। अपीलकर्त्ता द्वारा सबजज, गोड्डा के टाइटल पार्टिशन सूट नम्बर–23/1959 में दिनांक–07.11.1962 को पारित आदेश एवं सबजज, गोड्डा के न्यायालय में दाखिल टाइटल पार्टिशन सूट संख्या–08/1990 की जानकारी छिपाई गई। अतः अपीलकर्त्ता के इस अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध करायें एवं इसकी एक प्रति ई–कोर्ट विभागीय वेबसाइट (पोर्टल) पर अपलोड करावें।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.01.08 12:07:37 +05:30
Location: 192.168.29.124

लेखापित एवं संशोधित।

15.12.21	15.12.21
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता गोड्डा।	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता गोड्डा।